

भाग— ॥
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव कम संख्या— एफ0पी0 / यू.पी.0 /Approach/51457/2020

7 योजना/स्कीम का स्थान	भारत पेट्रोलियम करपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया—कस्या—रोड, एस0एच0—79 कि0मी0 18—19 के मध्य दाँयी पटरी पर खसरा सं0—166 ग्राम—सिरसिया पट्टी हुसैन, तहसील व जिला—देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0. 075028 हे0 संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग एवं 05 अदद वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में
I—राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ0प्र0 राज्य
II—जिला	देवरिया
III—वन प्रमाण	सा0वा0 वन प्रमाण,देवरिया
IV—वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.075028 हे0
V—वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
VI—हरियाली का घनत्व	ECO CLASS-III (Dense Forest 0.4)
VII—प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणाम (संलग्न किए जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक आर0एल0एफ0आर0एल0—2 मीटर पर परिणाम और एफ0आर0एल0—4 मीटर भी संलग्न किए जाये।	संलग्न है।
VIII—भूदरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता का संक्षिप्त टिप्पणी	भू—धरण के लिये वन क्षेत्र सम्वेदनशील नहीं है।
IX—वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	0—0 कि0मी0
X—क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजिव बाघ, रिंजव हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हों क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डर की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाय)।	कोई नहीं
XI—क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लम/सकिटापन/विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है यदि हों/नहीं तो सत्सम्बन्धित ब्यौरा दें ?	नहीं
XII—क्या कोई सुरक्षित पुरातीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हों तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हों, दें।	नहीं।
8—प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग—1 कालम—2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और अनुनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9—क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हों/नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	नहीं
10—प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।

(I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकार।	रिक्त है।
(II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास को वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
(III) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि	संलग्न हैं।
(IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपायुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकार से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11—जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम—7(XI,XII) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12—विभाग /जिला प्रोफाइल	
(I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2527.40 वर्ग किमी।
(II) जिले का वन क्षेत्र	264.345 हेक्टेक्टर
(III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	14 / 118.198618 हेक्टेक्टर
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	रिक्त है।
(ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त है।
(ग) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(क) वन भूमि पर	0.99 हेक्टेक्टर
(ख) वनेत्तर भूमि पर	0.162
13—प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रेसित।

तिथि - ३/१२/२०२१

हस्ताक्षर -

स्थान - देवरिया

नाम -


(ब्रिजेंड्रा कुमार पाण्डेय)

प्रभारी प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
देवरिया

सरकारी मोहर -